

डिक्री बमुकदमें ईबतादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 39/2025

मलकीतसिंह पुत्र बलदेवसिंह
जसकरणसिंह पुत्र गागसिंह

जाति जटसिख साकिनान संतपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
बनाम

---वादीगण---

चरणजीतकौर पत्नी गागसिंह
जसवीरकौर पत्नी मलकीतसिंह
ओबीसी/पीएनबी बैंक शाखा दीनगढ जरिये मैनेजर
तहसीलदार "राजस्व"संगरिया (भू-धारक)

जाति जटसिख साकिनान संतपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते
इन्फिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न
वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है
कि चक 3 एएमपी खाता संख्या 150/85 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 व 2 एएमपी खाता संख्या 55/48
जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 एवं चक 2 एएमपी खाता संख्या 125/112 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073
तथा चक 2 केएसडी खाता संख्या 39/29 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074, चक 2 केएसडी खाता संख्या
38/30 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074, चक 2 केएसडी खाता संख्या 232/31 जमाबन्दी सम्वत
2074-2074, चक 2 केएसडी खाता संख्या 65/55 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074, चक 2 केएसडी
जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 नहरी मय गै.मु.आराजी मे निम्नानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण
को खतकार काशतकार घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये
जाने का आदेश दिये जाते है:-

1. वादी संख्या 1-मलकीतसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया को चक
नंबर 2 के.एस.डी. खाता संख्या 232/31 में कुल 0.127 है0 नहरी, चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता
संख्या 39/29 में कुल 0.548 है0 नहरी, चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता संख्या 65/55 में कुल 1.265
है0 नहरी इस प्रकार कुल 1.940 है भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर उक्त खातों से
जसकरणसिंह, चरणजीतकौर का नाम कलमजन किया जावे।

2. वादी संख्या 2-जसकरणसिंह पुत्र गागसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया को चक
नंबर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 125/112 में कुल 1.265 है0 नहरी/बारानी 1 व चक नंबर 3 ए.एम.पी.
खाता सं. 150/85 में प0न0 165/138 मु0न0 48 किला नम्बर 22/0.253, व प0न0 165/139
मु0न0 75 किला न0 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, 3/2/0.025 है0 नहरी मय गै0मु0
भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर उक्त चक नंबर 2 ए.एम.पी. खाता संख्या 125/112 से
मलकियतसिंह का नाम कलमजन करे तथा चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 150/85 हिस्सा कम
किया जावे।


3. प्रतिवादी संख्या 1-चरणजीतकौर पत्नी गागसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया को
चक नंबर 2 ए.एम.पी. खाता सं. 55/48 में 3/4 हिस्सा की 1.1385 है0 इस प्रकार कुल 1.1385 है0
भूमि की खातेदार काशतकार घोषित कर उक्त खाते से जसवीरकौर का नाम कलमजन किया जावे।


4. प्रतिवादी संख्या 2-जसवीरकौर पत्नी मलकीतसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
को चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता संख्या 38/30 में 1.180 है0 नहरी व चक नंबर 2 के.एस.डी. खाता
संख्या 68/106 में 0.127 है0 नहरी इस प्रकार कुल 1.307 है0 भूमि की खातेदार काशतकार घोषित
कर उक्त खातों से जसकरणसिंह, चरणजीतकौर का नाम कलमजन किया जावे।

नोट- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन ही तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुल्लिक निल बाबत निल 100/ख्या मुकदमें के मय बुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयायी तक अदा करें।

उसके दस्ताखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.2.2025 को जारी किया गया।




(जय कोशिक)
महाराज कलकत्ता एय
राजस्व रिकार्ड विभाग
मुंबई